न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2711/2004/भरतपुर

1. बाबूलाल
2. सोनीराम पिसरान किशोरी जाति बागरी ब्राहमण निवासी गुरधनदी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड–पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थित :
श्री मुकेश जैन : अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री वी. पी. सिंह : राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—

दिनांक : 21/1/2019

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 68/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/4/2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध उप जिला कलेक्टर, बयाना के न्यायालय में एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गुरधानदी तहसील बयाना स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 208

रकबा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 209 रकबा 8 बिस्वा वादीगण के मृतक पिता किशोरी व उनके बाद वादीगण के कब्जे काश्त की रही है। वादीगण/अपीलार्थीगण को कभी भी विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व जमींदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादीगण/अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण को तहसीलदार, बयाना द्वारा दिनांक 26/4/1989 को एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 दिया जाकर वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने की धमकी दी गई है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर वादीगण/अपीलार्थीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं वादीगण के नाम का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में किया जावे। विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की सुनवाई के बाद अपने निर्णय दिनांक 3/5/2000 द्वारा वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3/5/2000 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23/4/2004 को खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उनका कथन है कि विवादित भूमि पर वादीगण/अपीलार्थीगण का अपने पिता के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 लगायत 2011 एवं सम्वत 2017 लगायत 2019 में शामलात देह अंकित है लेकिन उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से सम्वत 2041 के राजस्व अभिलेखों में चरागाह दर्ज कर दी गई, जबकि विवादत भूमि मौके पर कभी भी गैर मुमकिन चरागाह नहीं रही है तथा विवादित भूमि पर कभी भी मवेशी नहीं चराई गई। वादीगण/अपीलार्थीगण के पिता किशोरी के जीवनकाल से लेकर आज तक काश्त होती चली आ रही है। विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से भी विवादित भूमि पर हमारा कब्जा सिद्ध होता है। लेकिन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इसे नजरअन्दाज कर दिया। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य था। उन्होंने निवेदन किया कि इस विवादित भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से हमारा कब्जा काश्त है एवं ऐसी स्थिति में हम प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है। परन्तु

दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस संबंध में कोई फाईण्डिंग नहीं देते हुए हमारे वाद एवं अपील को खारिज किये जाने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। अतः विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 23/4/2004 एवं उप जिला कलेक्टर, बयाना द्वारा दिनांक 3/5/2000 को पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्को का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया कि जमाबन्दी 2008, 2012, 2020 एवं 2016 से 2019 में अपीलार्थीगण के पिता का कोई इन्द्राज नहीं है। सम्वत सम्वत 2009 से 2012 में विवादित भूमि चरागाह दर्ज है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि है तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत विवेचन के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री में ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गई है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित हो। द्वितीय अपील का क्षेत्र सीमित होता है और केवल विधि के प्रश्न को द्वितीय अपील में उठाया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में 2011 आर.आर.डी. पेज 508 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उप जिला कलेक्टर, बयाना के न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा विवादित भूमि के संबंध में एक नियमित वाद रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 89 एसं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर विवाद्यक कायम किये जाकर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए दिनांक 3/5/2000 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को पुष्ट करने में अससमर्थ रहने के कारण खारिज किया गया है। उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा अपने वाद में जो भी बिन्दु उठाये गये है, उन्हें साबित करने का दायित्व स्वयं वादीगण का ही था, जिसे वह

साबित करने में असमर्थ रहे हैं। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23/4/2004 को खारिज कर दी गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादीगण की हैसियत एक ट्रेस पासर की रही है, जिसे तहसीलदार के आदेश से बेदखल कर दिया गया है। अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे उसका कब्जा सम्वत 2012 से साबित होता हो। हाल रिकार्ड में विवादित आराजी चरागाह दर्ज है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 16 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिस पर किसी को खातेदारी अधिकरी प्राप्त नहीं होते है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद को डिक्री करने हेतु प्रार्थना की गई है। इस संबंध में विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवें न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त से हम पूर्णतया सहमत है जिसमें सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों के अवलोकन के आधार पर इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर स्पष्ट विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किये गये हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि वर्तमान रिकॉर्ड में गैर मुमकिन चरागाह दर्ज है तथा अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अपने वाद या अपील के समर्थन में प्रस्तुत नहीं कर सके है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि सेटलमेन्ट विभाग ने भूलवश उक्त खसरा नम्बरान की भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन पायी जाती है।

परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(धूकलराम कसवॉ)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य